तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामेश्वर बनाम सरकार मु0नं0 92/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.09.2021	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु अपीलार्थी एवं वक़ील अपीलार्थी अनुपस्थित। अतः अपील अपीलार्थी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निणर्य की प्रति के साथ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो। M 23/9/2021 (बाबूलाल गोयल) अति. संभागीय आयुक्त, जयपुर	

Scanned by CamScanner

2020/00101

92/2020

2019/00143 ...

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवम पदेन राजस्व

अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा 11/19

Reader 20/8/19

रामेश्वर पुत्र हरगोविन्द उम्र 68 वर्ष जाति गुर्जर निवासी गांवडी उप तहसील सिकन्दरा तहसील सिकरायजिला दौसा

बनाम

राज0 सरकार जरिए उप तहसीलदार सिकन्दरा तह0 सिकराय

अपील (द्वितीय) विरुद्ध निर्णय अति0 जिला कलेक्टर दौसा दि0 1-7-2019 उनवानी प्रकरण रामेश्वर बनाम राज0 सरकार अपील सं0 90।2018 व निर्णय उप तहसीलदार सिकन्दरादि0 17-7-2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रामेश्वर प्रकरण स0 998।2018

मान्यवर ,

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैकि अपीलांट ने उप तहसीलदार सिकराय के निर्णय ता0 17-7-18 के विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के यहा अपील पेश की गइ परन्तु अधि0 उपतहसीलदार सिकंदरा ने अपीलांट के अधिवक्ता के तर्कों वहस्या पर बिना विचार किये ही अपीलांट की अपील खारिज फरमाते हुए उप तहसीलदार सिकन्दरा का निर्णय यथावत रखने के आदेश दि0 1-7-19 को पारित करदिये इसलिए हरदो न्यायालयो के निर्णय के विरुद्ध अपील निम्न आधारो पर पेश है :

(1) यह है कि हरदो अधि0 न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून नियम उपनियम व पत्रावली तथ्यो के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है ।

Scanned by CamScanner